F0RM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कैलाशचन्द बनाम सन्तोष देवी वगै०

किस्म मुकदमा – दावा अ.धा. 53,188 आर.टी.एक्ट मुकदमा नम्बर– 168/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ
26.09.2023	वादीगण की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकले साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 16.10.2023 को पेश हो। दिलिप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	3041-3119 4-10-23
16.10.23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/11/23 को पेश हो।	
14-12-23	2-1-24 अजरी	
02.01.24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 ता 78 की तामिल असालतन करवाये जाने उपरांत भी हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में वकील वादी ने मुख्य वादी के साक्ष्य परीक्षण में कैलाश चन्द पुत्र बनवारी लाल आयु वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ढाबालाली व बजरंगलाल पुत्र बनवारीलाल आयु 57 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ढाबावाली के लिखितशुदा शपथ प[illegible] किये जो शामिल मिशल किये गये। वकील वादी के निवेदन [illegible] प्रक[illegible] में साक्ष्य वादी हो जाने व अन्य पक्षकारा[illegible] विरूद्ध एकपक्षीय [illegible] जाने से अंतिम बहस एकपक्षीय सुन[illegible] द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् बंटवारा, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा स्वी[illegible]र किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 2/01/24 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर	बजरंग लाल शर्मा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
168 / 2023	2023 / 292	26.09.2023	02.01.2024

उनवान

1. कैलाशचन्द पुत्र बनवारीलाल आयु 50 वर्ष
2. बजरंगलाल पुत्र बनवारीलाल आयु 57 वर्ष

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ढाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना (राज0)।

— वादीगण—

बनाम

1. संतोष देवी पत्नी मक्खनलाल आयु 45 वर्ष
2. धीरज पुत्र मक्खनलाल आयु 25 वर्ष
3. सीमा पुत्री मक्खनलाल आयु 27 वर्ष
4. सुरेश पुत्र किशनलाल आयु 48 वर्ष
5. भागोती देवी पुत्री किशनलाल आयु 50 वर्ष
6. मूली उर्फ मुरली देवी पत्नी किशनलाल आयु 80 वर्ष
7. रतनी पुत्री किशनलाल आयु 40 वर्ष
8. अणची देवी पत्नी मुरलीधर आयु 80 वर्ष
9. अनीता पुत्री कैलाश आयु 50 वर्ष
10. लादूराम पुत्र ओंकार आयु 80 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:45 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

11. कालूराम पुत्र जगदीश आयु 60 वर्ष

12. कालीचरण पुत्र मुरलीधर आयु 72 वर्ष

13. सावंरमल पुत्र मुरलीधर आयु 62 वर्ष

14. शंकरलाल पुत्र मुरलीधर आयु 58 वर्ष

15. मंजू देवी पुत्री मुरलीधर आयु 55 वर्ष

16. गिरधारी पुत्र गंगासहाय (दर्ज जमाबंदी अनुसार जिसके वर्तमान रहवास का पता नही)

17. राधाकिशन पुत्र मोहरीलाल

18. प्रभू पुत्र स्व. चुन्नीलाल आयु 80 वर्ष

19. सावित्री पत्नी स्व. चौथमल आयु 70 वर्ष

20. महेश पुत्र स्व. चौथमल आयु 50 वर्ष

21. अशोक पुत्र स्व. चौथमल आयु 45 वर्ष

22. दिनेश पुत्र स्व. चौथमल आयु 40 वर्ष

23 सुभाष पुत्र स्व. चौथमल आयु 35 वर्ष

24. जीवण पुत्र नन्दा आयु 80 वर्ष

25. राजेन्द्र पुत्र नन्दा आयु 60 वर्ष

26. झूंथा पुत्र खींवा

27. मदन पुत्र झूंथा आयु 80 वर्ष

28. बनवारीलाल पुत्र स्व. डालूराम

29. गोकुल पुत्र स्व. डालूराम

30. गोविन्दनारायण पुत्र स्व. डालूराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:45 IST
Reason: SelfAttested

02/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

31. सांवरमल पुत्र स्व. डालूराम

32. नारायण पुत्र स्व. डालूराम

33. सतीश पुत्र स्व. डालूराम

34. गोविन्दनारायण पुत्र स्व. दयाल आयु 60 वर्ष

35. श्यामसुन्दर पुत्र स्व. परतू आयु 45 वर्ष

36. गोकुलचन्द पुत्र स्व. बद्री आयु 80 वर्ष

37. भूपेन्द्र पुत्र स्व. बंशीधर आयु 65 वर्ष

38. पुरूषोतम पुत्र स्व. भगवानाराम आयु 70 वर्ष

39. बीजू पुत्र स्व. भागीरथ आयु 40 वर्ष

40. संजय पुत्र स्व. भागीरथ आयु 35 वर्ष

41. कालूराम पुत्र स्व. भागीरथ आयु 30 वर्ष

42. ग्यारसीलाल पुत्र स्व. भोमराज आयु 80 वर्ष

43. चौथमल पुत्र स्व. भोमराज आयु 70 वर्ष

44. गोविन्दराम पुत्र स्व. भोमा आयु 60 वर्ष

45. प्रकाश पुत्र स्व. घासीलाल पौत्र मक्खन आयु 80 वर्ष

46. सांवरमल पुत्र स्व. घासीलाल पौत्र मक्खन आयु 75 वर्ष

47 गुलाबचन्द पुत्र व. घीसालाल पौत्र [illegible] आयु [illegible] वर्ष

48. गजानन्द पुत्र स्व. घीसालाल पौत्र मक्खन आयु 60 [illegible]

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ढ़ाबावाली तह[illegible] श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:45 IST
Reason: SelfAttested

02/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

49. मैना देवी पत्नी सांवरमल पुत्री सुरजमल आयु 60 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी रलावता तहसील खण्डेला जिला सीकर

50. मनोज पुत्र कैलाश आयु 55 वर्ष

51. कालूराम पुत्र स्व. महादेव आयु 70 वर्ष

52. मालीराम पुत्र महादेव आयु 65 वर्ष

53. छोटूराम पुत्र महादेव आयु 60 वर्ष

54. प्रभूदयाल पुत्र स्व. मालीराम आयु   वर्ष

55. मोहन पुत्र मांगू (दर्ज जमाबंदी अनुसार वर्तमान रहवास का पता नही)

56. मोहनलाल पुत्र महानन्द आयु 80 वर्ष

57. भूपेन्द्र पुत्र स्व. रूड़मल आयु 60 वर्ष

58. गोविन्दराम पुत्र स्व. रतनराम आयु 60 वर्ष

59. दुर्गाप्रसाद पुत्र स्व. रामधन आयु 80 वर्ष

60. रामचन्द्र पुत्र स्व. रामधन आयु 75 वर्ष

61. मेघराज पुत्र स्व. रामधन आयु 70 वर्ष

62. रामावतार पुत्र स्व. रामेश्वर आयु 80 वर्ष

63. प्रेमचन्द्र पुत्र स्व. रामेश्वर आयु 75 वर्ष

64. बोदूराम पुत्र स्व. रामेश्वर आयु 70 वर्ष

65. प्रहलाद पुत्र स्व. रामेश्वर आयु 65 वर्ष

66. ग्यारसीलाल पुत्र स्व. रामेश्वर आयु 60 वर्ष

67. गोविन्दराम पुत्र स्व. रामेश्वर आयु 60 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:45 IST
Reason: SelfAttested

02/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

68. लादूराम पुत्र भगना (दर्ज जमाबंदी अनुसार वर्तमान रहवास का पता नहीं)

69. हीरा पत्नी कैलाश आयु 80 वर्ष

70. जयदेव पुत्र स्व. श्योनाथ आयु 60 वर्ष

71. लालचन्द पुत्र स्व. श्योनाथ आयु 55 वर्ष

72. छोटूराम पुत्र स्व. श्योनाथ आयु 50 वर्ष

73. संतोष पुत्र सुरजमल आयु 60 वर्ष

74. भगवती पत्नी स्व. सागर आयु 80 वर्ष

75. हीरा पुत्र गंगासहाय (दर्ज जमाबंदी अनुसार वर्तमान रहवास का पता नहीं) समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ढाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

76. सुमन पत्नी विनोद कुमार पुत्री कैलाश जाति ब्राह्मण निवासी सीकर

77. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

78. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित : –

श्री कमल कुमार शर्मा एड0 वादीगण अभिभाषक।

दावा बाबत बंटवारा, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:45 IST
Reason: SelfAttested

— निर्णय —

संक्षेप में [illegible] कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 69 रकबा 2.01 हैक्टर तन् ग्राम ढाबावाली पटवार हल्का सिहोडी तहसील श्रीमाधोपुर

मे स्थित हैं। जिसके वादी संख्या 1 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 2 हिस्सा 1/6 कुल 1/3 हिस्सा के व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/18–1/18 कुल 1/6 हिस्सा के व प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 7 प्रत्येक 1/8–1/8 कुल 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भूमि खसरा नम्बर 15, 16, 18 कुल किता 3 कुल रकबा 4.53 हैक्टर तन् ग्राम ढ़ाबावाली पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर मे स्थित हैं। जिसके हिस्सा 1/3 का वादी संख्या 1 व हिस्सा 1/3 का वादी संख्या 2 कुल 2/3 व हिस्सा 1/9–1/9 के प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 कुल 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भूमि खसरा नम्बर 1 से 8, 62 से 68 कुल किता 15 कुल रकबा 11.63 तन् ग्राम ढ़ाबावाली पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे स्थित हैं जिसके हिस्सा 1/8 के वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है शेष हिस्से के शेष प्रतिवादीगण दर्ज जमाबंदी अनुसार है। पक्षकारान ने उपरोक्त वर्णित भूमियों का मौके पर बाह्मी बंटवारा अर्सा करीब 25–30 वर्षो से कर रखा हैं उक्त बंटवारा बाह्मी अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 69 के कुल रकबा 2.01 हैक्टर मे से रकबा 1.11 हैक्टर भूमि पश्चिमी दिशा की वादी संख्या 2 बजरंगलाल के हक हिस्से व बंटवारे मे व 0.90 हैक्टर भूमि पूर्वी तरफ की प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के हक हिस्से व बंटवारे मे हैं तथा उपरोक्त वर्णित भूमियों मे से खसरा नम्बर 15 के रकबे मे से 3.265 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 7 के हक हिस्से व बंटवारे मे हैं तथा खसरा नम्बर 15 मे से शेष बचा रकबा 0.6750 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 16 का सम्पूर्ण रकबा 0.16 हैक्टर व खसरा नम्बर 18 का सम्पूर्ण रकबा 0.43 हैक्टर इस प्रकार 0.6750 + 0.16 + 0.43 हैक्टर कुल 1.265 हैक्टर भूमि वादी संख्या 1 के हक हिस्से व बंटवारे मे आयी हुयी है तथा उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 1.25 हैक्टर मे 0.63 हैक्टर भूमि पश्चिमी तरफ प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 7 के हक हिस्से व बंटवारे मे तथा 0.21 हैक्टर भूमि उत्तरी पूर्वी कोने में से वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

संख्या 2 के हक हिस्से व बंटवारे मे तथा 0.41 हैक्टर भूमि दक्षिणी पूर्वी कोने मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्से व बंटवारे मे आयी हुयी हैं इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 द्वारा मौके पर बाह्मी बंटवारे के समय से अलग अलग सींव नींव कायम कर अलग अलग इसी अनुसार काश्त करते चला आ रहे हैं तथा इसी अनुसार निर्बाध रूप से काबिज होकर वर्तमान मे भी इसी अनुसार काबिज हैं तथा वादपत्र की मद नम्बर 3 में अन्य खसरा नम्बरान पर दर्ज खातेदारी अनुसार शेष प्रतिवादीगण काबिज हैं। उपरोक्त वर्णित भूमियों उपरोक्तानुसार दर्ज खातेदारी के हक हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमियां हैं जिनका मोके पर बाह्मी विभाजन हो रखा हैं परन्तु विधिक व कानून रूप से कोई बंटवारा नही हुआ हैं वर्तमान समय में चल रहे भूमियों के वाद विवाद की स्थिति के कारण संयुक्त खातेदारी की भूमियों का विधिक बंटवारा किया जाना अतिआवश्यक हैं। उपरोक्त वर्णित भूमियों का विधिक बंटवारा कराने हेतु वादीगण ने पूर्व में प्रतिवादीगण को कई बार कहां तो वे हां करते रहे और टालते रहे परन्तु दिनांक 20.08.2023 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को इस बाबत् कहां तो मौजूद प्रतिवादीगण ने आनाकानी करते हुये स्पष्ट मना कर दिया व भूमियों को दीगर भूमाफिया लोगो को अन्तरण आदि करने व भूमियों को खुर्द बुर्द करने के एहलानियां धमकी दिये जाने से वाद कारण पैदा होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। उपरोक्त वर्णित भूमियों का विधिक बंटवारा कराने हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 20.08.2023 को कहां तो मौजूद प्रतिवादीगण द्वारा आनाकानी करते हुये स्पष्ट मना करने व भूमियों को दीगर भूमाफियां लोगो को अन्तरण आदि कर खुर्द बुर्द करने की एहलानियां धमकी दिये जाने से पैदा होकर लगातार हो रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की उनके हक हिस्से व खातेदारी की भूमि मे यदि जबरन ताकत के बल पर कब्जा दखल अन्दांजी करते हुये भूमियों को दीगर लोगो को अन्तरण आदि कर खुर्द बुर्द कर दिया जावेगा तो वादीगण के विधिक हक हकुक गम्भीर रूप से प्रभावित होगे तथा वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

नाजायज तौर पर हैरान व परेशान होकर अपनी भूमियों से बेजा तौर पर महरूम हो जावेगे इस कारण प्रतिवादीगण के उक्त गलत कृत्य हेतु उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के विधिक अधिकारी हैं। उपर्युक्त वर्णित भूमि के संबंध में वादीगण ने अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि उपरोक्त वर्णित भूमियों का वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य उनके हिस्से अनुसार विधिवत बंटवारा किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 69 के कुल रकबा 2.01 हैक्टर में से रकबा 1.11 हैक्टर भूमि पश्चिमी दिशा का वादी संख्या 2 बजरंगलाल को व 0.90 हैक्टर भूमि पूर्वी तरफ की प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 को बंटवारे के अनुसार काबिज खातेदार घोषित किया जावे एंव खसरा नम्बर 15 के रकबे में से 3.265 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 7 के हक हिस्से व बंटवारे मे हैं तथा खसरा नम्बर 15 में से शेष बचा रकबा 0.6750 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 16 का सम्पूर्ण रकबा 0.16 हैक्टर व खसरा नम्बर 18 का सम्पूर्ण रकबा 0.43 हैक्टर इस प्रकार 0.6750 + 0.16 + 0.43 हैक्टर कुल 1.265 हैक्टर भूमि वादी संख्या 1 को तथा भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 1.25 हैक्टर में 0.63 हैक्टर भूमि पश्चिमी तरफ की प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 7 को तथा 0.21 हैक्टर भूमि उत्तरी पूर्वी कोने मे से वादी संख्या 2 को तथा 0.41 हैक्टर भूमि दक्षिणी पूर्वी कोने मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसमे दर्ज प्रतिवादीगण का नाम हजफ फरमाया जावे एंव शेष भूमियो का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जावे तथा अलग–अलग नक्शे में तरमीम किया जावे तथा अलग से बट्टा नम्बर डाला जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:31:45 IST
Reason: SelfAttested

02/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 78 की साधारण तरीके से तामील होने के बावजूद कोई हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 78 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादी के मुख्य परीक्षण में साक्ष्य वादीगण में कैलाशचन्द पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ढाबावाली व बजरंगलाल पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ढाबावाली के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुये, जो शामिल पत्रावली रहे। जिस पर वकील वादीगण ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा किये गये निवेदन पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077, साक्ष्य वादी में प्रस्तुत साक्ष्य वादी व गवाहान् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से भूमि खसरा नम्बर 69 रकबा 2.01 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाबावाली पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर का वादी संख्या 1 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 2 हिस्सा 1/6 कुल 1/3 हिस्सा के व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/18–1/18 कुल 1/6 हिस्सा के व प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 7 प्रत्येक 1/8–1/8 कुल 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भूमि खसरा नम्बर 15, 16, 18 कुल किता 3 कुल रकबा 4.53 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाबावाली पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर का हिस्सा 1/3 का वादी संख्या 1 व हिस्सा 1/3 का वादी संख्या 2 कुल 2/3 व हिस्सा 1/9–1 [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 कुल 1/3 हिस्सा के खातेदार का[illegible] है। भूमि खसरा नम्बर 1 से 8, 62 से 68 कुल किता 15 कुल रक[illegible] 11.63 अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाबावाली पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:45 IST
Reason: SelfAttested

1/8 के वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है शेष हिस्से के शेष प्रतिवादीगण दर्ज जमाबंदी अनुसार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होना प्रकट होता हैं उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों को वादपत्र के अनुतोष अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना वादीगण वकील चाहता है। अतः उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

——::क्रियात्मक आदेश ::——

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वादपत्र बाबत् बाबत् बंटवारा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 69 के कुल रकबा 2.01 हैक्टर में से रकबा 1.11 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाबावाली पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर के पश्चिमी दिशा का वादी संख्या 2 बजरंगलाल को व 0.90 हैक्टर भूमि पूर्वी तरफ की प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 को, भूमि खसरा नम्बर 15, 16, 18 कुल किता 3 कुल रकबा 4.53 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाबावाली पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर में से भूमि खसरा नम्बर 15 के रकबे में से 3.265 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 7 को, खसरा नम्बर 15 में से शेष बचा रकबा 0.6750 हैक्टर भूमि, खसरा नम्बर 16 का सम्पूर्ण रकबा 0.16 हैक्टर व खसरा नम्बर 18 का सम्पूर्ण रकबा 0.43 हैक्टर इस प्रकार 0.6750 + 0.16 + 0.43 हैक्टर कुल 1.265 हैक्टर भूमि वादी संख्या 1 को तथा भूमि खसरा नम्बर 1 से 8, 62 से 68 कुल किता 15 कुल रकबा 11.63 अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाबावाली पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से खसरा नम्बर 5 रकबा 1.25 हैक्टर में 0.63 हैक्टर भूमि पश्चिमी तरफ की प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 7 को, 0.21 हैक्टर भूमि उत्तरी पूर्वी कोने मे से वादी संख्या 2 को, 0.41 हैक्टर भूमि दक्षिणी पूर्वी कोने मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को काबिज वादपत्र अनुतोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:31:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित जाकर व इसमे दर्ज खातेदारान व प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर एवं शेष भूमियो का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

02/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 02.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:45 IST
Reason: SelfAttested